

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

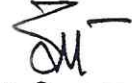
क्रमांक:-एफ.4(वाई-28/2023)/अलेसे-III/9072 दिनांक :- 06/11/2025

कार्यालय आदेश

श्री योगेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल.नं. 765630) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) हाल पदस्थापन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मु.प्रा.शि. (जालौर) को कोषाधिकारी, जालौर द्वारा अग्रेषित आवेदन दिनांक 22.08.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम-96 के अन्तर्गत एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 08.04.2025 एवं 15.04.2025 (कुल 02 दिवस)

उक्त 02 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री योगेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।



(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(वाई-28/2023)/अलेसे-III/9072 दिनांक :- 06/11/2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कोषाधिकारी, (जालौर) ।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी, मु.प्रा.शि. (जालौर) ।
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 4 श्री योगेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल.नं. 765630) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) हाल पदस्थापन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मु.प्रा.शि. (जालौर)।
- 5 ☒ उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 रक्षित/निजी पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)